



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042026-272183
CG-DL-E-30042026-272183

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2088]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 2026/वैशाख 10, 1948

No. 2088]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2026/VAISAKHA 10, 1948

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग-II)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2026

का.आ. 2169(अ).— केंद्र सरकार, दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) की धारा 4 और 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री आशुतोष कुमार अग्रवाल को, दिल्ली शहरी कला आयोग में अंतरिम आधार पर कार्यकाल 3 मई, 2026 से छह महीने की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है; और प्रो. (डॉ.) मनदीप सिंह, श्रीमती निवेदिता पांडे और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (डी) श्रीमती डी. तारा का दिल्ली शहरी कला आयोग में अंशकालिक सदस्यों के रूप में कार्यकाल 3 मई, 2026 से छह महीने की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।

[फा. सं. ए-11013/1/2020-डीडी. II]

सूर्य नारायण झा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS**(Delhi Division-II)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th April, 2026

S.O. 2169(E).— In exercise of the powers conferred by Section 4 and 5 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Ashutosh Kumar Agarwal, as Chairman (Part-time) in Delhi Urban Art Commission, on an interim basis for a period of six months with effect from 3rd May, 2026 or until further orders, whichever is earlier and extends the period of tenure of Prof. (Dr.) Mandeep Singh, Smt. Nivedita Pande and Smt. D. Thara, Additional Secretary (D) in the Ministry of Housing and Urban Affairs as Members (Part-time) in the Delhi Urban Art Commission, for a period of six months with effect from 3rd May, 2026 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. A-11013/1/2020-DD.II]

SURYA NARAYAN JHA, Under Secy.